कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

अतिथि शिक्षकों से संबंधित सूचना

निदेशानुसार पटना जिला के राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र विषय के लिए उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है, के आलोक मे सभी हितबद्ध अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

1. आवेदन– दिनांक 22.05.2018 से 04.06.2018 तक सभी कार्य दिवस पर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न् 04:30 बजे तक विहित प्रपत्र में के0 बी0 सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शेरूल्लाहपुर, शेखपुरा, पटना (शास्त्रीनगर थाना के सामने) में हाथों–हाथ आवेदन जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. अर्हता– रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप मे ली जाएगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 की डिग्री। प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अर्हताधारी आवेदन कर सकेंगे। परन्तु गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र विषयों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की अर्हता होगी। **माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।**

जिलान्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अतिथि शिक्षक के रूप मे सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे। विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान तथा विभागीय ज्ञापांक 216 दिनांक 09.04.2018 द्वारा प्राप्त निदेश प्रभावी होगा।

3. मानदेय– उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे वर्त्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को रू0 1000/– (एक हजार) प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात रू0 25000/– (पच्चीस हजार) प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।

4. आयु–सीमा– सेवा लिये जानेवाले वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिवस को आवेदक की आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तक।

5. मेधा सूची/पैनल का निर्माण– अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु मेधा सूची/पैनल का निर्माण निम्नवत् किया जाएगा :–

(i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस0टी0ई0टी0 (पेपर–ii) उत्तीर्ण होंगे, उन्हें मेधा सूची/पैनल मे प्रथम वरीयता दी जाएगी।

(ii) निर्दिष्ट विषय के +2 स्तरीय सेवा निवृत शिक्षकों, जिनकी आयु 65 वर्ष तक हो, को द्वितीय वरीयता दी जाएगी।

(iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को तृतीय वरीयता दी जाएगी।

(iv) एम0टेक0/बी0टेक0 योग्यताधारी बी0एड0 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषय के लिए उपरोक्त तीनों श्रेणी मे योग्य अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति मे मेधा सूची/पैनल मे शामिल किया जाएगा।

(v) संकल्प के किये गये प्रावधान के आलोक मे गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषय के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति मे ही विद्यालय मे उपलब्ध रिक्त एवं स्वीकृत पद की सूचना देते हुए एम0टेक0 अथवा बी0टेक0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सेवा विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर ली जा सकेगी।

6. आरक्षण–

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के परिपत्र संख्या 458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा निर्गत आदर्श रोस्टर विन्दु के आलोक मे संबंधित विकलांगों (दिव्यांग) का निम्नांकित श्रृंख्ला के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक मे विकलांग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समव्यवहार मे रोस्टर विन्दु निम्नानुसार निर्धारित किया गयाा है। तदनुसार विकलांग(दिव्यांग) का नियोजन किया जाना है :– **(क)** दृष्टि दिव्यांगता – रोस्टर विन्दू 01 से 25 तक – 01 पद।

(ख) **मुक वधिर दिव्यांगता** – रोस्टर विन्दु 26 से 50 तक – 01 पद **(ग)** **चलन दिव्यांगता** – रोस्टर विन्दु 51 से 75 तक – 01 पद **(घ)** **मनो विकार दिव्यांगता (तेजाब अटैक से उत्पन्न मनो विकार)**– रोस्टर विन्दु 76 से 100 तक – 01 पद।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सख्या 963 दिनांक 20.01.2016 एवं सरकार के अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 11/आ0नि0–1–11/2015 सा0प्र0–2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक मे बिहार सरकार के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों मे आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि मे महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम मे चयन की प्रक्रिया निम्नांकित रोस्टर विन्दु के अनुसार निर्धारण किया गया है। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति मे उसी भर्ती वर्ष मे संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ,पटना के पत्रांक 11/आ0नि0–1–10/2015 सा0प्र0–2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक मे बिहार सरकार के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों मे बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी का 02 (2 प्रतिशत) क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित/गैर–आरक्षित कोटि से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग) मे की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति मे उसी समव्यवहार मे स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्य/पाल्या से इतर आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों से पदों को भर लिया जाएगा। इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रनित नहीं किया जाएगा।

(iv) गैर आरक्षित वर्ग – रोस्टर विन्दु– 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 एवं 97 – कुल 17 पद।

(v) अ0जा0 वर्ग – रोस्टर विन्दु– 10, 24, 40, 62, 78 एवं 98 – कुल 06 पद।

(vi) अ0ज0जा0 वर्ग – रोस्टर विन्दु– 244 – कुल 01 पद (300 रिक्त पदों मे अ0ज0जा0 महिला के लिए अनुमान्य)।

(vii) अ0पि0व0 वर्ग – रोस्टर विन्दु– 08, 26, 42, 60, 76, 94 एवं 100 – कुल 07 पद।

(viii) पि0व0 वर्ग – रोस्टर विन्दु– 12, 38, 64 एवं 90 – कुल 04 पद।

अ0ज0जा0 महिला के लिए 01 पद अर्थात रोस्टर विन्दु 244 आरक्षित करने की स्थिति मे अ0पि0व0 मे महिलाओं के लिए मात्र 06 विन्दु ही अनुमान्य किया जा सकता है। ताकि आरक्षण प्रतिशत अपरिवर्तित रहें। विभागीय निदेशानुसार इकाईवार/विद्यालयवार स्वीकृत पद के विरूद्ध नियोजन/नियुक्ति के उपरान्त अतिथि शिक्षकों की सेवा/रोस्टर स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

4. **कुल रिक्त पदों की संख्या**–

क्र0	विषय	कोटि											योग
		अनारक्षित		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		पिछड़ा वर्ग		आरक्षित महिला	अ0ज0जा0		
		पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0		पु0	म0	
1	अंग्रेजी	38	20	13	8	12	7	9	5	3	1	0	**116**
2	जन्तु विज्ञान	5	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	**15**
3	वनस्पति शास्त्र	9	4	3	1	2	2	2	1	1	0	0	**25**
4	गणित	40	20	14	8	12	7	9	5	4	1	0	**120**
5	रसायन	37	19	12	8	11	7	9	5	3	1	0	**112**
6	भौतिकी	44	22	15	9	13	8	11	5	4	1	0	**132**
	कुल योगः–	**173**	**88**	**59**	**35**	**51**	**32**	**41**	**22**	**15**	**4**	**0**	**520**

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :–

1. मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक एवं बी0टेक0 एवं एम0टेक0 (जो लागू हो) के अंकपत्र एवं मूल प्रमाण पत्र।
2. बी0एड0 के अंकपत्र एवं मूल प्रमाण पत्र।
3. एस0टी0ई0टी0 (पेपर–II) – के अंकपत्र एवं मूल प्रमाण पत्र।
4. जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र।
5. विकलांगता की स्थिति मे विकलांगता प्रमाण पत्र।
6. दिनांक 01.02.2018 के बाद का दो रंगीन पासपोर्ट फोटो एवं चालीस–चालीस रूपये का डाक टिकट चिपका हुआ दो लिफाफा, जिसपर पत्राचार का पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित हो।
7. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी से संबंधित आश्रित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार (जिलाधिकारी) द्वारा निर्गत।
8. सेवा निवृत शिक्षक सेवा निवृति से संबंधित साक्ष्य संलग्न करेंगे।

19.5.18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
आर0एम0एस0ए0, पटना।

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र :—

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक — प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐ सेवा निवृत शिक्षक ☐

पासपोर्ट साइज का स्व–अभिप्रमाणित फोटो

1. जिला का नाम :— ....
2. विषय :— ....
3. अभ्यर्थी का नाम :— ....
4. (क) पिता का नाम :— ....
   (ख) माता का नाम :— ....
5. जन्म तिथि :— ....
6. 1ली जनवरी 2018 को आयु :— वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
7. लिंग :— पुरूष ☐ महिला ☐
8. स्थायी पता–ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर :— ....

....

....

थाना .... जिला .... पिन कोड .... मोबाईल नं0 .... ई–मेल ....

9. पत्राचार का पता — ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ....

....

....

थाना .... जिला .... पिन कोड .... मोबाईल नं0 .... ई–मेल ....

10. कोटि :— सामान्य ☐ आरक्षित ☐
11. आरक्षण की कोटि :— अ0जा0 ☐ अ0ज0जा0 ☐ अ0पि0व0 ☐ पि0व0 ☐
12. यदि विकलांग हो तो :— दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐ मनोविकार ☐

योग्यता :—

शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद् या वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
माध्यमिक							
उच्चतर माध्यमिक							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
एम0टेक0							
बी0टेक0							
बी0एड0							

13. (क) एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्णता का वर्ष एवं क्रमांक ....
    (ख) एस0टी0ई0टी0 का उत्तीर्णता का प्राप्तांक एवं प्रतिशत ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान ....

तिथि .... आवेदक का **पूर्ण** हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती .... विषय .... से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम